बजट-भाषण

-रघुवर दास
वित्त मंत्री, झारखण्ड सरकार

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज पहली बार मुझे राज्य का आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत करने का जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं आपके प्रति विनम्रतापूर्वक अपना आभार प्रकट करता हूँ। अपने युवा एवं कर्मठ मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुन्डा जी के कुशल नेतृत्व में अपने राज्य को एक खुशहाल, आधुनिक तथा प्रगतिशील राज्य बनाने का सपना देखा है।

झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से ही हमारा यह प्रयास रहा है कि दृढ़-संकल्प एवं कठिन परिश्रम के साथ गतिशील विकासात्मक कार्यों को मूर्तरूप देते हुए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में झारखण्ड राज्य को स्थापित किया जाय।

हमारे प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे तबके के लोग यह महसूस करने लगें कि उनके जीवन स्तर में भी अन्य लोगों की तरह सुधार हो रहा है। आम आदमी के जीवन स्तर को उपर उठाने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 के लिए इस आय-व्ययक के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि सिंचाई एवं ऊर्जा प्रक्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य के सृजन के समय विकास दर 5.39 प्रतिशत था जो वर्ष 2004-05 तक लगभग 6 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2005-06 में विकास दर को 6.25 प्रतिशत तक वृद्धि करने का लक्ष्य रख गया है।

वर्ष 2005-06 के लिए अनुमानित कुल 12423.33 करोड़ रूपये का आय-व्ययक का आकलन किया गया है। इसमें राज्य योजना मद में कुल 4510.12 करोड़, केन्द्र प्रायोजित योजना में 786.08 करोड़ एवं केन्द्रीय योजनागत योजना मद में 390.68 करोड़ का उपबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त 6736.45 करोड़ की राशि गैर योजना मद में व्यय के लिये अनुमानित है।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2005-06 में निम्नांकित प्रक्षेत्रों में विशेष प्राथमिकता दी गई है एवं बजटीय उपबन्ध में वृद्धि की गई है :-

क्रमांक	प्रक्षेत्र	उद्व्यय (रु० करोड़ में)
1.	शिक्षा	1702.43
2.	स्वास्थ्य	839.38
3.	कृषि	244.72
4.	सिंचाई	579.57
5.	ऊर्जा	727.15
6.	पेयजल	258.43

शिक्षा

सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में कुल उपबंधित राशि 1470.90 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2005-06 में 1773.11 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जो पिछले वर्ष से 20.55 प्रतिशत अधिक है। अब तक नये विद्यालयों को खोलने की दिशा में 98.36 प्रतिशत और छात्रों के नामांकन में 45.21 प्रतिशत तथा शिक्षकों की नियुक्ति में 42 प्रतिशत की वृद्धि की जा चुकी है। इस वर्ष इस दिशा में और प्रगति करने के प्रयास जारी हैं।

नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संबंधित शिक्षा एवं परीक्षण शुल्क का भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसी प्रकार वर्ग 8वीं कक्षा की सामान्य कोटि के छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण की योजना, वर्ग 8 से 10 तक के गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले छात्रों को अनवरत शिक्षा देने के उद्देश्य से निर्धनता-सह-मेधा छात्रवृत्ति की योजना आरम्भ की गई है।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की सहायता से, कम महिला साक्षरता वाले प्रखण्डों में एक-एक महिला आवासीय विद्यालय

की स्थापना हेतु कस्तुरबा गाँधी आवासीय विद्यालय योजना आरम्भ की गई है।

मध्याह्न भोजन की सरस्वती वाहिनी योजना का विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष 2005-06 से इसमें सभी ई.जी.एस. केन्द्रों/अभियान विद्यालयों, सभी वैकल्पिक एवं नवाचारी केन्द्रों तथा गैर सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों को भी सम्मिलित किया गया है। इस हेतु 183.38 करोड़ का उपबंध किया गया है।

वर्ग 1 से 8 तक नामांकित सभी छात्राओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी छात्रों को सर्वशिक्षा अभियान के तहत नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक देने हेतु 15.00 करोड़ का उपबंध है जिसमें दस लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

झारखण्ड ग्राम शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को सर्वशिक्षा अभियान की ओर से प्रदत्त 1000 रूपये प्रतिमाह के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 20 छात्रों से अधिक 40 छात्रों तक प्रति छात्र 50/- अधिकतम 1000/- रूपये प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

स्वास्थ्य

अध्यक्ष महोदय, राज्य के सुदूर क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु पिछले वर्ष की तुलना में 95 प्रतिशत की वृद्धि कर इस वर्ष कुल 839.38 करोड़ रू० का उपबन्ध स्वास्थ्य विभाग के लिए किया गया है।

सरकार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विभिनन योजना कार्यक्रमों तथा आधारभूत स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय मानक के समकक्ष लाने के लिए कटिबद्ध है। इस क्रम में राज्य में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है ताकि राज्य के अंतर्गत सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में चल रहे सभी पद्धति की चिकित्सा का बेहतर प्रावधान हो सके।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान राँची में एम.आर.आई. मशीन एवं सी.टी.स्केन मशीन के अधिष्ठापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इससे राज्य में मरीजों को यह सुविधा अनुदानित दरों पर सुलभ होगी।

राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट उपलब्धि के तहत मोबाइल हेल्थ क्लिनिकों की स्थापना की जा रहीं है ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके।

राज्य के 14 जिलों में अवस्थित पुराने अनुमंडलीय अस्पतालों में 200 अतिरिक्त शय्या सृजित करने का प्रस्ताव है। इस वित्तीय वर्ष में इस हेतु भवन निर्माण कार्य किया जायेगा।

इसी प्रकार सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रसव कक्ष के निर्माण का प्रस्ताव है।

इसी प्रकार प्रत्येक जिला अस्पतालों में 10 शय्या वाले मन:चिकित्सा इकाई के गठन का प्रस्ताव है।

कृषि

अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास के लिए कृषि क्षेत्र में विकास सर्वोपरि है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रक्षेत्र के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएँ हेतु राशि का उपबंध किया गया है। इसी प्रकार एक दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, एक पशुधन एवं मत्स्य शोध संस्थान की भी स्थापना करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य में सब्जियों का उत्पादन विगत वर्षों में काफी बढ़ा है, इसे और बढ़ाने के उद्देश्य के तहत् जैव उर्वरक एवं भूमि के किस्म के अनुसार अन्य उर्वरक एवं कीटनाशक अनुदानित दर पर देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार, नई प्रौद्योगिकी से उत्पादन में किसानों को लाभ मिल सकेगा। इस दृष्टिकोण से 3 करोड़ की लागत से एग्रो एक्सपोर्ट जोन की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में एक लाख किसान डायरी का वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 25,000 स्वॉयल हेल्थ कार्ड भी उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

सिंचाई

अध्यक्ष महोदय, राज्य सृजन के समय झारखण्ड में कृषि योग्य भूमि का कुल सिंचित क्षेत्र 8 प्रतिशत था। विगत चार वर्षों में सिंचन क्षमता में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के लिये राज्य में लम्बे अर्से से बंद पड़ी वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को 'टर्न की' के आधार पर निविदा आमंत्रित कर अगले ढ़ाई वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तद्नुसार 43 अदद् पुरानी योजनाओं का पुन:स्थापना कर 54896 हेक्टैयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

झारखण्ड क्षेत्र में लघु सिंचाई स्रोत के रूप में चेक डैम की विशेष उपयोगिता है। इस दृष्टिकोण से श्रृंखलाबद्ध चेक डैम बना कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष कार्य योजना तैयार की गयी है। 2005-06 में इस क्रम में 66 अदद् चेक डैम का निर्माण किया जायेगा।

ऊर्जा

राज्य में अब तक कुल 9239 गाँवों को ही विद्युतीकृत किया जा सका है, जो कि केवल 28 प्रतिशत है। राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अनवरत विद्युत आपूर्त्ति के लिए पृथक फीड़र एवं एल टी लाईन की व्यवस्था करते हुए ग्राम प्रकाश की नई योजना प्रारंभ की जायेगी। इस योजना के कार्यान्वयन से सिंचाई की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में 66.44 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे कुल 1425 अतिरिक्त गाँवों को विद्युतीकृत किया जा सकेगा। इस वर्ष वितरण इकाई के अंतर्गत 15.00 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है, ताकि 11 के.भी. लाईन का विस्तार, वितरण सब-स्टेशन का अधिष्ठापन तथा घरेलू वाणिज्यकी एवं औद्योगिक कनेक्शन का कार्य कराया जा सके। विद्युत उत्पादन ईकाईयों की उत्पाद क्षमता में वृद्धि के लिए 103 करोड़ की राशि का विशेष प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार जहाँ बिजली नहीं पहुँची हो या जहाँ बिजली पहुँचाना मुश्किल हो, वहाँ अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली पहुँचाने के लिए सोलर लालटेन, सोलर होमलाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, उन्नत चुल्हे आदि वितरित करने के लिए कुल 4.69 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है।

आवास

अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को दीनदयाल आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जाने की योजना हेतु हुडको से 500 करोड़ के ऋण लेने की योजना स्वीकृत की गई है तथा प्रथम किस्त भी प्राप्त हो चुकी है। इस योजना का क्रियान्वयन इस वित्तीय वर्ष से हो जायेगा।

निबंधन

राज्य हित में निबंधन संबंधी लम्बित दस्तावेजों के स्कैनिंग एवं डी.भी.डी. पर प्रतिलिपिकरण एवं मुद्रीकरण की कार्रवाई की जा रही हैं ताकि दस्तावेज भविष्य में क्षतिग्रस्त न हो, साथ ही निबंधन कार्य कम्प्यूटरीकृत करने का पायलट प्रोजेक्ट भी आरम्भ किया गया है। सम्पत्ति के मूल्यांकन को पारदर्शी एवं बाजार मुल्य के सन्निकट लाने के उद्देश्य से नियमावली तैयार की जा रही है। मुद्रांको की बिक्री बैंक के माध्यम से करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि आसानी से मुद्रांक उपलब्ध हो सके।

पशुपालन

राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत वर्ष आरंभ किए गये 'गोकुल योजना' के फलस्वरूप राज्य में औसतन प्रतिदिन एक लाख लीटर दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई है। गव्य विकास प्रक्षेत्र के तहत अब तक 3353 कृषक परिवारों को स्वरोगजार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में 100 हेक्टेयर गोचर का गैर मजरूआ बंजर भूमि को सिल्वी पाश्चर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

उद्योग

अध्यक्ष महोदय, मेगा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी मापदण्ड निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप अब तक औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु 98749. 90 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत अब तक 83 मेगा पूँजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 30 मेगा उद्योगों की स्थापना के लिए एम.ओ.यू. किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक ही स्थान पर विपणन की सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राँची, हजारीबाग तथा देवघर में अरबन हाट की स्थापना की जा रही है।

आपूर्ति

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2005-06 में एक लाख अन्त्योदय परिवारों को सिंगल बर्नर गैस चुल्हा मुफ्त वितरण करने की योजना है।

जैसा कि माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि अन्त्योदय योजना के अंतर्गत राज्य के बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व से गेहूँ एवं चावल क्रमशः दो रूपये एवं तीन रूपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति की जाती है। इस योजना में प्रति परिवार 25 किलो खाद्यान दिया जाता है। गरीबी रेखा से उपर के परिवारों को 6.61रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ तथा 8.96 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 35 किलोग्राम प्रतिमाह खाद्यान्न

उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के तहत् 21,996 टन गेहूँ तथा 32,079 टन चावल वितरित करने की योजना है। गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले नागरिकों को 25 पैसे प्रति किलो ग्राम की दर से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराया जायेगा।

श्रम एवं नियोजन

अन्नपूर्णा अन्न योजना के तहत राज्य के कुल 54,935 वैसे व्यक्तियों का चयन किया गया है जिनकी आयु 65 वर्ष या इससे अधिक है, तथा जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है उन व्यक्तियों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक प्रति पेंशनधारी 100/- रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता रहा है। इस वित्तीय वर्ष से यह राशि 200/- रुपये प्रति माह भुगतान करने का निर्णय लिया गया है तथा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 22.51 करोड़ का अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य के ई-गर्वनेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रोमोशन ऑफ इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) का गठन किया गया है। 'झारनेट' परियोजना तथा अन्य परियोजनाओं को इस एजेन्सी के द्वारा क्रियान्वित कराई जा रही है।

परिवहन विभाग, कोषागारों, वाणिज्यकर विभाग, निबंधन विभाग का कम्प्यूटरीकरण का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। टेलिमेडिसीन परियोजना के माध्यम से राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों को तथा अन्य मुख्य अस्पतालों को सम्बद्ध किये जाने का कार्यक्रम भी इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है।

नगर विकास

अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं यथा सड़क, शुद्ध पेयजल, नाली एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। राजधानी राँची को एक आधुनिक सुविधा सम्पन्न राजधानी के रूप में विकसित करने का सरकार का संकल्प है। राँची का मास्टर प्लान तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को 3.24 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया जा चुका है। राँची में सीवेज एवं ड्रेनेज प्रणाली का कार्य इस वित्तीय वर्ष में आरंभ करने की योजना है। राज्य के प्रमुख 46 शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने की भी योजना है।

ग्रामीण विकास

अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्कता प्रदान करने हेतु अबतक कुल 343.71 करोड़ रुपये में 309 योजनाएँ चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर ली गई है। वर्ष 2005-06 में इन योजनाओं के तहत राज्य के लिये कुल 110 करोड़ राशि कर्णांकित की गयी है एवं इसके लिए डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है। केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस वर्ष इन योजनाओं को पूर्ण कर लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में विधायक योजना के अन्तर्गत 82 विधायकों के लिये कुल 164 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है। इस राशि में लोक जल समृद्धि योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रति विधायक 50.00 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है। इसी प्रकार जिला परिषदों को सड़क/बस निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में राज्यांश एवं केन्द्रांश कुल मिलाकर कुल 56.24 करोड़ रुपये के व्यय कर कुल 32598 स्वरोजगारियों के लाभ पहुँचाया जा चुका है। वर्ष 2005-06 में केन्द्रांश एवं राज्यांश कुल मिलाकर 85.33 करोड़ रुपये के व्यय पर स्व रोजगारियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में जल छाजन योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना आदि के लिये क्रमशः 28 करोड़, 150 करोड़, 56.67 करोड़ की योजनाएँ कार्यान्वयन करने का लक्ष्य रखा गया है।

पथ निर्माण

अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के पूर्व इस राज्य में एकल एवं मध्य सड़कों की कुल लम्बाई 5800 कि.मी. थी। इन में अब तक 1840 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण की जा चुकी है एवं 2000 कि.मी. में कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2005-06 में शेष बचे हुए सड़कों का चौड़ीकरण करने की योजना है। वर्ष 2005-06 में सभी राज्य पथों को डबल लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, झारखण्ड की उप-राजधानी दुमका

एवं पुर्वोत्तर राज्यों के लिए सुगम सम्पर्कता हेतु गोविन्दपुर, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज पथ निर्माण, गंगा नदी में साहेबगंज घाट पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण तथा राँची तथा अन्य शहरों में यातायात की सुगमता सुनिश्चित करने हेतु लाई ओभर का निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की योजना है।

पेंशन

झारखण्ड सरकार द्वारा दिसम्बर 2004 के बाद से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत वेतन/जीवनयापन भत्ता का 10 प्रतिशत राज्यकर्मियों के द्वारा तथा उतनी ही राशि राज्य सरकार के द्वारा पेंशन खाते में जमा करने की योजना है। सेवा निवृत्ति के पूर्व राज्य सरकार के द्वारा इस जमा राशि को शेयर आदि के क्रय करने में लगाया जा सकता है ताकि सरकारी कर्मियों को अधिक लाभ मिल सके। इस योजना से भविष्य में राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ की कमी भी आएगी।

राजस्व प्राप्तियाँ

अध्यक्ष महोदय, राज्य के सृजन के पश्चात् राज्य सरकार को राजस्व संसाधन जुटाने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2001-02 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 4495.02 करोड़ की थी, जो वर्ष 2004-05 में बढ़कर 5970.02 करोड़ रुपये हो गई जो कि लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि है। यह कुशल प्रशासन तथा सक्रिय वित्तीय प्रबंधन के ही कारण संभव हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2005-06 में विभिन्न राजस्व स्रोत से कुल प्राप्तियों का अनुमान निम्न प्रकार है :-

(रु० करोड़ में)

1. केन्द्रीय करों मे राज्य का हिस्सा	2229.47
2. राज्य कर आय	2892.04
3. अन्य राज्य स्रोत से आय	1390.73
4. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	1690.54
5. बाजार कर्जे एवं अन्य ऋण	2003.58
कुल योग	**10206.36**

अध्यक्ष महोदय, यद्यपि राजस्व संग्रहण का मुख्य स्रोत 'कर' का विरूपण है परन्तु वर्त्तमान आर्थिक उदारीकरण वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि कर प्रणाली को सरल व युक्ति-युक्त बनाया जाये ताकि व्यवसायियों को कर गणना व भुगतान में सुविधा हो। विगत वित्तीय वर्ष 2004-05 में वाणिज्य कर में कुल 2023 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई, जो वित्तीय वर्ष 2003-04 के संग्रहण की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि थी। वित्तीय वर्ष 2005-06 में वाणिज्य-कर विभाग के लिए कुल 2300 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर के आधार में बढोत्तरी एवं कर-वंचना के रोकथाम के लिए विशेष अभियान के तहत कारगर कार्रवाई की जाएगी।

कर संगहण में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट के लिए समाहितकरण प्रणाली लागू की गयी है। ऐसी व्यवस्था उन होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट के लिए की गयी है जिनका सकल आवर्त्त 20 लाख रुपये वार्षिक से कम है। राज्य में एम्यूजमेंट पार्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पर मनोरंजन कर की दर 60 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है।

झारखण्ड राज्य के लिये खनन् प्रक्षेत्र राजस्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य को प्राप्त होने वाले खनन् राजस्व का 92 प्रतिशत हिस्सा कोयले से आता है। गत वित्तीय वर्ष इस मद में 935 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ। निर्वाचन के कारण कोयले का उठाव कुछ हद तक प्रभावित हुआ जिससे राजस्व की क्षति हुई। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 1100 करोड़ रुपये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है।

उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग द्वारा गत वर्ष 152 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया। शराब दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु एक नई 'उत्पाद नीति' का गठन किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत एक जिले में अवस्थित सभी विदेशी शराब की दुकानों को एक समूह में तथा सभी देशी/मसालेदार शराब की दुकानों को एक समूह में बन्दोबस्त करने का प्रावधान है। इस नीति के अनुपालन से सभी दुकानों की बन्दोबस्ती संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है।

निबंधन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में राजस्व लक्ष्य 125.00 करोड़ रुपये का है। लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में विभाग द्वारा भूमि/सम्पत्ति के मूल्यांकन को पारदर्शी एवं बाजार मूल्य के बिल्कुल सन्निकट लाने के उद्देश्य से नयी न्यूनतम मूल्य निर्धारण नियमावली लागू की जायगी।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्यय में विभिन्न विभागों के लिए पहली बार योजनाओं को चिन्हित करते हुए राशि को उपलब्ध किया गया है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लक्ष्य की प्राप्ति सहज हो सकेगी। वित्तीय प्रक्रिया को सरीकृत करने की दिशा में व्यापक कदम उठाए गए हैं। विभागों में शक्ति का प्रत्यायोजन करते हुए विभागीय एवं राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, झारखण्ड राज्य एक नव सृजित राज्य है। योजनाओं के कार्यान्वयन एवं ससमय सम्पादन के लिए आधारभूत संरचना एवं प्रशासनिक ढाँचा का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है तभी व्यय की क्षमता में वृद्धि होगी। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए रिक्त पदों को भरे जाने तथा आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग कर योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। जन जन तक स्वास्थ्य सेवा उपलब्धं कराने की दिशा में रिक्तियों को तत्काल अनुबंध पर भरने की कारगर कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष महोदय, 12वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों में कुशल वित्तीय प्रबंधन पर बल दिया गया है। आयोग द्वारा सभी राज्यों को फिस्कल रिसपौन्सिबिलिटि अधिनियम लागु करने की अनुशंसा की है, जिसके आधार पर राज्यों को भारत सरकार से प्राप्त ऋण को समेकित कर कम ब्याज की दर तथा ऋणों की माफी की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके सभी वित्तीय पहलुओं पर सरकार गंभीरता से विचार कर लागू करने की कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता की शुभकामनाओं एवं आप सबों के सक्रिय सहयोग से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन-जन तक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को मुहैय्या कराने तथा विकास की किरण घर-घर तक पहुँचाने में हम सफल हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक को सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए दिनांक 16 जून, 2005 को राज्य सरकार के वित्त मंत्री श्री रघुवर दास द्वारा सदन में दिया गया बजट भाषण।